<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>25/04/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही धन शोधन जाँच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 21.04.2024 को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने मामले में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शराब घोटाले में एक नई ईसीआईआर दर्ज की है।

ईडी की जाँच में पता चला कि वह छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे शराब सिंडिकेट का सरगना है। सिंडिकेट के निर्बाध संचालन के लिए राज्य प्रशासन के प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। उन्हें इस मामले में एक अन्य सह-आरोपी अनवर ढेबर के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ पाया गया। इस बात के सबूत जुटाए गए हैं कि हालांकि वह आधिकारिक तौर पर उत्पाद शुल्क विभाग का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वह उत्पाद शुल्क विभाग के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल थे। जाँच में अनिल टुटेजा के 14.41 करोड़ रुपये की प्राप्ति से संबंधित डिजिटल साक्ष्य का भी पता चला है। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण पति त्रिपाठी की नियुक्ति में भी उनकी भूमिका की जानकारी मिली है, जो शराब घोटाले में सह-अभियुक्त भी हैं।

यह पता चला है कि, ईडी 2019 से 2022 के बीच चले जिस शराब घोटाले की जाँच कर रही है, उसमें कई तरह से भ्रष्टाचार किया गया था:

- **भाग-ए कमीशन:** सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) द्वारा डिस्टिलर्स से खरीदी गई शराब के प्रत्येक मामले के लिए उनसे रिश्वत ली गई थी।
- **भाग-बी कच्ची शराब बिक्री:** बेहिसाब कच्ची देशी शराब की बिक्री। इस मामले में, राज्य के खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा, और बिक्री की सारी आय सिंडिकेट की जेब में चली गई। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी।
- **भाग-सी कमीशन:** डिस्टिलर्स से उन्हें कार्टेल बनाने और निश्चित बाजार हिस्सेदारी की अनुमति देने के लिए रिश्वत ली जाती है।
- **एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से कमीशन**, जिन्हें विदेशी शराब सेगमेंट में भी कमाई के लिए प्रस्तुत (इंट्रोड्यूज़) किया गया था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि अनिल टुटेजा की मिलीभगत से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें अपराध की 2100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध आय से भर गईं। इस लूट में उन्हें भी अच्छा खासा हिस्सा मिला।

अनिल टुटेजा को दिनांकः 21.04.2024 को गिरफ्तार किया गया और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया और 5 दिनों की ईडी हिरासत मिली।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।